प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 25.04.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6882 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6882 को बखिरा क्षेत्रांतर्गत रमवापुर विहारे से कालर विजय शंकर मिश्रा सा0 रमवापुर विहारे थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ने अपनी पत्नी साक्षी मिश्रा उपरोक्त के मोटरसाईकिल से गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर कर दुर्घटना में घायल को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 चन्दन यादव, रवि पासवान, हो0गा0चा0 अवधेश त्रिपाठी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 216 वाहनों से 2,59,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 25.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 216 वाहनों से 2,59,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अन्तर्गत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिक को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 24.04.2026 को थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2026 धारा 87, 137(2) , 65(1) बीएनएस व 3/7 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामानन्द उर्फ श्रवण पुत्र रमेश चौहान ग्राम बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धनघटा चौराहे से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया।
विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 28.03.2026 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध वादी की नाबालिक पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 24.04.2026 को उक्त वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार/बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, का0 शरद कुमार राय।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अन्तर्गत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 25.04.2026 को थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 237/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजन निषाद पुत्र राममिलन ग्राम गागरगाड़ घुरहा टोला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दुल्हापार चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 23.04.2026 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी की पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 25.04.2026 को उक्त वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार/बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, उ0नि0 श्री रामदुलारे तिवारी, हे0का0 सोनू पटेल।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अन्तर्गत थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वाँछित 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 173/2026 धारा 108 बीएनएस मे वाँछित अभियुक्त/अभियुक्ता 01. राहुल पुत्र मेवालाल 02. श्यामरथी पत्नी राजपती निवासीगण पचपोखरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को उनके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 24.04.2026 को थाना दुधारा पर प्रार्थना पत्र दिया कि वादिनी की पुत्री को उक्त अभियुक्तगण द्वारा प्रताड़ित किया गया जिससे वादिनी की पुत्री तंग आकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना दुधारा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 25.04.2026 को घटना में संलिप्त उक्त 02अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह, म0हे0का0 चांदनी सिंह,हे0क0 एहतेशाम, का0 रामप्रवेश पासवान।